तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 30 / 2010	आर.सी.एम.एस 2010 / 00023	तारीख रजू 23.06.2010

1. कैलाप्रसाद पुत्र गुलाव आयु 62 जाति ब्राहगण निवासी मोहल्ला हिण्डौन के गेट के अन्दर करौली तहसील करौली जिला करौली।

—————वादी

बनाम

1. बेजनाथ पुत्र देवीलाल जाति महाहन निवासी करौली।
2. राधा बल्लभ
3. राधेश्याम
4. ओमप्रकाश पुत्रान रामजीलाल जाति ब्रहामण निवासी चौधरीपाडा करौली
5. कैलाश चन्द
6. रामबाबू पुत्रान जवाली जाति ब्रहामण निवासी चौधरीपाडा करौली
7. कल्ला
8. श्याम बाबू पिसर मुतबन्या श्रीलाल

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 25.02.2021

संक्षिप्त में प्रक़रण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5295 रकवा 2 वीघा 3 विस्वा स्थित कस्वा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसकी जमाबन्दी सम्बत् 2048 से 2051 वादपत्र के साथ पेश की है जिससे प्रतिवादीगण को कोई मालिकाना काविजाना खातेदारी काश्तकारी सम्बन्ध नही है प्रतिवादी न01 का आराजी खसरा नम्बर 5295 व 498,499 से कोई खातेदारी व कब्जे काश्त का सम्बन्ध नही है ना ही कोई विधिवत हस्तान्तरण प्रतिवादी न01 के हक में है खसरा नम्बर 499,499 वादी के खातेदारी भूमि के उत्तर में है पूर्व मं सडक करौली से हिण्डौन सिटी है खसरा नम्बर 498 मंदिर गोविन्द देवजी करौली के खातेदारी व कब्जे की है। खसरा नम्बर 499 प्रतिवादी न02 ता 8 के खातेदारी की है। खसरा नम्बर 5295 व 499 में प्रतिवादीगण के कोई हकूक नही है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि के कब्जे वादी मं व्यवधान डालने व निर्माण करने का कोई कानूनी हक नही है। खसरा नम्बर 5295 वे 499 कृषि भूमि है। जिनका आज तक आवादी में नियमानुसार परिवर्तन भी नही हुआ है प्रतिवादीगण ने अनाधिकार तौर पर वादी की भूमि को दवाते हुये पूर्व झाकती हुये 3 किता दुकान का निर्माण कार्य दिनांक 08.03.1996 से आरम्भकर दिया है। वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण झगडा करने को आमादा फिसाद हो रहे है, और निर्माण कार्य कर रहे है प्रतिवादीगण ने अनाधिकार तौर पर वादी के खाते व कब्जे की भूमि पर दुकान निर्माण [illegible] कर रखा है । जबकि प्रतिवादीगण को वादी के खाते व कब्जे की भूमि पर निर्माण [illegible] कोई कानूनी अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि करीब 20 [illegible] फीट लम्बई चौडाई पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकारी कार्यवाही से हकूक वादी पर आधात है एवं वादी को अपूर्णीय क्षति व [illegible]री असुविधा है। पटवारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गिरदावर हल्का प्रतिवादीगण से साज किये हुये और कृषि भूमि पर निर्माण कर रहे व होने पर भी कोई कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त निर्माण कार्य के बाबत नही कर रहे है। जबकि वादी उनको भी निवेदन कर चुका है। पटवारी हल्का व गिरदावर का कर्तव्य व दायित्व है कि वह कृषि भूमि पर विधि अनुसार अकृषि में आराजी का परिवर्तन नही हो जाने तव तक कृषि भूमि के निर्माण को रोकने का व लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत कार्यवाही करने का दायित्व है। जो उन्होने पूरा नही किया है और विधि की अवहेलना की जा रही है। प्रतिवादीगण लटठ वाले पैसे वाले है और वादी कमजोर स्थिति का है रिटायर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीकी भूमि में जो अनाधिकार निर्माण अतिकमण कर किया है उसे मेण्डेटरी व्यादेश द्वारा हटवाया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण से वादी ने दिनांक 08.03.1996 को मना करने पर ऐलानिया निर्माण करके रहेगे तव वादी ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी का खसरा नम्बर 5295,498 व 499 में कोई हक या कब्जा नही है। खसरा नम्बर 499 प्रतिवादी न0 2 ता 5 की वादी स्वंय मान रहा है। वादी ने अकारण से वुनियाद विला आवश्यकता के झूठे बनावटी तथ्य दर्ज कर दिये है जिनके वारे में वादी कोई कार्यवाही इस दावे में नही कर सकता खसरा नम्बर 499 प्रतिवादी न02 ता 5 व चन्द्रशेखर ब्राहमण के कब्जे की होने से उनके द्वारा खसरा नम्बर 499 वने रिहायशी भूमि खण्डो में भूखण्ड न024 नाप 30x40 फूट 1200 वर्गफूट का दिनांक 20.03.1989 को इकरारनामा स्टाम्प द्वारा खरीद किया है और खरीद दिनांक 20.03.1989 को कीमत अदाकर उसी रोज कब्जा प्रति0 न01 ने प्राप्त कर लिया है और उस पर काविज है। वक्त दावा भी प्रति01 काविज था यह प्लाट उक्त खसरा नम्बर 499 के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर है यह आवादी क्षेत्र में आ चुका है। इसमें काफी मकानात वन चुके है। प्रतिवादी न01 एवं अन्य खरीद दारान को रिहायशी भूमि में परिवर्तित कराने का कानूनी हक है वादी को इसमें ऐतराज करने या रोकने का कोई हक नही है। प्रतिवादी न01 ने अपने उक्त प्लॉट खसरा नम्बर 499 में प्लॉट न0 24 कय शुदा पर निर्माण किया है जो निर्माण खसरा नम्बर 5295 के 20x10 या कोई भी हिस्से में नही किया है ना निर्माण दिनांक 08.03.1996 को प्रारम्भ किया है वह निर्माण खसरा नम्बर 499 में दावा से काफी समय पूर्व से है जो वादी के इल्म में रहा है। दिनांक 08.03.1996 को निर्माण प्रारम्भ करना गलत दर्ज किया है। पटवारी व गिरदावर सव वादी के मेल के रहे है क्योकि वादी स्वंय राजस्व विभाग तहसील करौली वीसीयों वर्ष मुलाजिम रहा है। वह रिटायर थोडे समय पूर्व हुआ है। खसरा नम्बर 5295 पर प्रतिवादी न01 का न कब्जा है ना प्रतिवादी ने दावा दर्ज पात कभी कही प्रतिवादी से खसरा नम्बर 499 की भूमि को दवाव डाल कर हडपने की नियत से यह दावा पेश किया है। वादी कोई स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का हकदार नहीं है दावा वादी म्याद वाहर है। खसरा नम्बर 5295 वादी की खातेदारी की नही है मंदिर श्री गोविन्द देवजी का है वादी ने रवेन्यु विभाग के मुलाजिमान से मिल कर अपने नाम करा लिया है तो वह फर्जी गैर कानूनी है विना मंदिर को पक्षकार बनाये दावा चलने योग्य नही है। खसरा नम्बर 499 ,5295 आबादी में आ चुका है। दावा दीवानी न्यायालय को सुनने का अधिकार है। अन्त में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादीगण के अधिकारों के आधार पर किया विधाधक विन्दू विरचित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. आया विवादित आराजी दर्ज वादपत्र मद न01 वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है वकी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।

——वादी

2. आया दावा वादी न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

वाद विवाधक विन्दु वाकी साक्ष्य ली गयी वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी कैलाप्रसाद पी.डब्लू.1 के बयान लेखवद्व कराये है एवं दस्तावेज जमाबन्दी सम्बत 2048 से 2051 प्रदर्श —1 व खसरा गिरदावारी प्रदर्श को प्रदर्शित कराया है, साक्ष्य वादी वन्द की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डी.डब्लू.1 वैजनाथ

1. राधेश्याम के बयान लेखवद्व कराये है। कोई दस्तावेजी सवूत प्रदर्शित नही कराया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण वन्द की गयी।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5925 कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके समर्थन में वादी ने जमाबन्दी सम्बत 2048 से 2051 प्रदर्श—1 पेश की है और मौखिक वयान में अपना कब्जा काश्त होना बताया है वादी की भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नम्वर 499 है जो प्रति0न0 2 ता 5 के खातेदारी की है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में निर्माण करने का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 08.03.1996 से वादी की 20x10 फीट लम्बाई चौडाई भूमि खसरा नम्बर 5295 को दवाते हुऐ अनाधिकार निर्माण प्रारम्भ कर दिया है वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण ऐलानिया निर्माण कर रहेगे की धमकी दे रहे है जिससे हकूक वादी पर आधात है और वादी के कब्जे काश्त भूमि में व्यवधान पैरा होगा जिससे वादी को अपूर्णीयक्षति व भारी असुविधा है वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण को मेण्डेटरी व्यादेश से हटवाने के अधिकारी है दावा वादी ड्रिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का वहस में कथन है कि वादी ने गलत तथ्यो पर दावा पेश किया है प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नम्बर 499 में है जो प्रतिवादी न02ता 5 व चन्दशेखर के खातेदारी की है। जिसमें से एक भूखण्ड संख्या 24 प्रतिवादी न01 ने इकरारनामा से 30x40 फीट लम्बाई चौडाई का खरीद किया है उसी में प्रतिवादी न01 ने निर्माण किया है प्रतिवादी न01 का निर्माण खसरा नम्बर 5295 से नही है खसरा नम्बर 5295 मंदिर गोविन्द देवजी के खातेदारी की है जिसकी वाद ने अपने हक में अवैध खातेदारी दर्ज करायी है। निर्माण प्रतिवादीगण दायरी दावा से पूर्व का है वादी दावा की आड में खसरा नम्बर 499 को दववा डालकर हडपना चाहता है और इसी नियत से दावा पेश किया है खसरा नम्बर 499 व 5295 आवादी क्षेत्र में है आवादी भूमि है जिसका दावा सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है विना मंदिर के पक्षकार वनाये दावा वादी चलने योग्य नही है। दावा वादी खारिज किया जावें।

वहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया [illegible] वली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। [illegible] विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित है तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

विवाधक सख्या 01 को [illegible] वादी पर है वादी ने इस सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी सम्बत 2048 से 2051 प्र[illegible]—1 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5295 कस्वा करौली वादी के खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य वयान में भूमि पर कब्जा वादी होना वताया है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस भूमि में से 20x10 फूट लम्बाई चौडाई से दवाते हुये प्रतिवादीगण द्वारा 4 किता दुकान निर्माण करना कथन किया है जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में खसरा नम्बर 5295 के किसी भाग भूमि पर निर्माण नही करना अपने मौखिक बयानों में बताया है। पत्रावली में पत्थरगढी की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2000 प्रस्तुत हुयी है जिसमें खसरा नम्बर 5295 में कोई निर्माण प्रतिवादीगण होना दर्ज नही है यह रिपोर्ट वादी स्वंय कैलाप्रसाद की उपस्थिति में तैयार की गयी है। जिस पर वादी कैलाप्रसाद के हस्ताक्षर भी है। ऐसी स्थिति में वादी खसरा नम्बर 5295 में प्रतिवादीगण का निर्माता सावित करने के असफल रहा है। जब खसरा नम्बर 5295 में प्रतिवादीगण का कोई निर्माण नही है। तव वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। वादी खसरा नम्बर 5295 कर खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रदर्श–1 मे अंकित है। ऐसी स्थिति में विवाधक संख्या 1 वादीके विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित की जाती है।

विवाधक संख्या 2 को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5295 आवादी भूमि हो परन्तु वादी व प्रतिवादी द्वारा क्रमशः दावे, जबाब दावे व बहस में उपरोक्त आराजी पर प्लॉट काटना, मकान बने होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित की जाती है।

विवाधक संख्या 03 अनुतोष है विवाधक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादी खसरा नम्बर 5295 में प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि को दवाते हुये निर्माण करने को सावित करने में असफल रहा है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नही है। दावा वादी चलने योग्य नही है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करें। तद्दानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner